रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 2019/माघ 23, 1940
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 2019/MAGHA 23, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 28 जनवरी, 2019

सं. टीएएमपी/48/2018–सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कोचीन पत्तन न्यास में कार्गो परिचालनों के लिए प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना के आधार पर कार्यनिष्पादन मानदंड अनुमोदित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/48/2018–सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास **आवेदक**

कोरम

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी, 2019 के 18वें दिन पारित)

यह मामला कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) से कार्गो परिचालनों के लिए प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना के आधार पर कार्यनिष्पादन मानदंडों के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 29 मई 2018 से संबंधित है।

2.1. पोत परिवहन मंत्रालय ने 16 जून 2016 के पत्र के अंतर्गत महापत्तनों को शुष्क बल्क कार्गो हेतु बर्थिंग नीति, 2016 घोषित की थी और सभी महापत्तनों से कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

2.2. इस परिप्रेक्ष्य में, सीओपीटी दो कार्गो मदों अर्थात् पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित पीओएल उत्पादों (सिवाय फरनेस ऑयल) और सीमेंट के लिए प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना पर आधारित कार्यनिष्पादन मानदंड अनुमोदित करने के लिए नवम्बर 2016 में एक प्रस्ताव लेकर आया था।

2.3. पत्तन द्वारा प्रहस्तित सीमेंट पाइपलाइनों के माध्यम से है। बर्थिंग नीति में पाइपलाइनों के माध्यम से शुष्क बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए कार्यनिष्पादन मानदंडों पर पहुंचने के लिए मानदंड अथवा कार्यपद्धति निर्धारित नहीं की गई है।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, और पाइप लाइन परिचालन के मामले में कार्यनिष्पादन मानकों के निर्धारण के लिए बर्थिंग नीति में निर्धारित किसी विशिष्ट कार्यपद्धति के अभाव में, पत्तन ने वर्ष 2015–16 में अर्जित वास्तविक कार्यनिष्पादन के आधार पर पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए कार्यनिष्पादन मानदंडों का प्रस्ताव किया था।

2.4. पीओएल उत्पादों (सिवाय फरनेन्स ऑयल, बेनजीन तथा वेक्यूम रेसिडयू) के लिए, पत्तन ने वर्ष 2015–16 में अर्जित वास्तविक कार्यनिष्पादन के आधार पर बर्थों अर्थात् कोचीन ऑयल टर्मिनल (सीओटी), नॉर्थ टैंक बर्थ (एनटीबी) और साउथ टैंक बर्थ (एसटीबी) में लदाई/उतराई आर्मों के रूप में उपलब्ध बर्थ सुविधाओं पर विचार करते हुए कार्यनिष्पादन मानदंडों का प्रस्ताव किया था।

2.5. बर्थिंग नीति पत्तनों से यह अपेक्षा करती है कि लक्षित मानदंडों को अर्जित किए जाने तक प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही में कार्यनिष्पादन मानदंडों की समीक्षा करें। चूंकि पीओएल उत्पादों के लिए सीओपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव एमओएस द्वारा जारी बर्थिंग नीति के मद्देनजर तथा पूर्वोक्त नीति में निर्धारित प्रोत्साहन/जुर्माना के सिद्धांत को अंगीकृत करते हुए बताया गया था, इसलिए कार्यनिष्पादन मानकों से संबंधित प्रोत्साहन/जुर्माना हेतु पत्तन द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक केवल प्रथम वर्ष के लिए अनुमोदित किए गए थे।

2.6. तदनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/75/2016–सीओपीटी दिनांक 29 मार्च 2017 द्वारा सीओपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित सीओपीटी में कार्गो परिचालनों के लिए प्रोत्साहन/जुर्माना आधारित कार्यनिष्पादन मानदंड अनुमोदित किए थे। यह आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 05 मई 2017 को राजपत्र सं. 189 द्वारा अधिसूचित किया गया था। अधिसूचित प्रावधान 04 जून 2017 से लागू किए गए थे और एक वर्ष अर्थात् 3 जून 2018 तक वैध थे।

3. सीओपीटी द्वारा अपने मौजूदा प्रस्ताव दिनांक 29 मई 2018 में कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:–

(i). सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित पीओएल उत्पादों (सिवाय फरनेन्स ऑयल) और पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए सीओपीटी में कार्गो परिचालनों के लिए 'प्रोत्साहन तथा जुर्माना आधारित कार्यनिष्पादन मानदंड योजना' 04 जून 2017 से लागू की गई थी, जोकि निम्नवत् है:

(क). **प्रोत्साहन तथा जुर्माना आधारित कार्यनिष्पादन मानदंड योजना:**

क्र.सं.	घटक	कार्यनिष्पादन मानदंड
1	पीओएल उत्पाद सिवाय फरनेन्स ऑयल, सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित	650 टन/घंटा
2	पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट	190 टन/घंटा/प्वाइंट

(ख). **प्रोत्साहन और जुर्माना:**

क्र.सं.	प्रोत्साहन (बचत किए गए बर्थ घंटों के लिए)		जुर्माना (मानदंड संबंधी घंटों से अधिक बर्थ घंटों के लिए)	
	वास्तविक बर्थ घंटे	प्रोत्साहन	वास्तविक बर्थ घंटे	जुर्माना
1.	विनिर्दिष्ट समय के 5 प्रतिशत के भीतर	शून्य	विनिर्दिष्ट समय के 5 प्रतिशत के भीतर	शून्य
2.	विर्निष्ट समय के 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कमतर	0.5 X बर्थ किराया	विर्निष्ट समय के 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत अधिक	1.0 X बर्थ किराया
3.	विनिर्दिष्ट समय के 15 प्रतिशत से कमतर	1.0 X बर्थ किराया	विनिर्दिष्ट समय के 15 प्रतिशत से अधिक	2.0 X बर्थ किराया

(ii). कई पीओएल उत्पादों की ढुलाई करने वाले पोतों के लिए 6 घंटों की समयावधि पूर्व–प्रारंभ तथा औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दी गई हैं, कार्गो के प्रत्येक ग्रेड के लिए अतिरिक्त 2 घंटे स्वीकृत किए गए हैं।

(iii). निम्नलिखित में से किसी कारण से किसी परिचालन को रोकना को जुर्माना/प्रोत्साहन की गणना करने के लिए जलयानों के कार्यनिष्पादन के परिकलन से अलग रखा गया है:

(क). उप संरक्षक द्वारा यथा प्रमाणित सुरक्षित नौचालन के लिए ज्वारभाटा, डुबाव, आदि के लिए प्रतीक्षारत जलयानों का कोई विराम।
(ख). पाइलट की देरी से आपूर्ति और टग की अनुपलब्धता सहित पत्तन के कारण जलयान के नौचालन में कोई विलंब।
(ग). मौसम संबंधी विराम और विलंब।
(घ). पोतों के स्थानांतरण के कारण विराम तथा विलंब।
(ङ). पत्तन द्वारा प्राधिकृत बंकरों, मरम्मत आदि हेतु जलयान का कोई विस्तारित विराम।
(च). अधिकतम 30 मिनट अवधि तक डुबाव सर्वेक्षणों द्वारा उपभोग किया गया समय।
(छ). बर्थ में पत्तन द्वारा उपलब्ध करवाये गए उपस्कर का खराब होना/अनुपलब्धता।

(iv). टीएएमपी आदेश के अनुसार, यह योजना 04 जून 2017 से कार्यान्वयन की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध है। यह योजना निम्नलिखित मानदंडों के साथ प्रारंभिक तौर पर लागू की गई थी:

	घटक	कार्यनिष्पादन मानदंड
1	सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पाद	650 टन/घंटा
2	पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट	190 टन/घंटा/प्वाइंट

(v). बर्थिंग नीति शुष्क बल्क के विभिन्न घटकों के लिए कार्यनिष्पादन मानदंड निर्धारित करने हेतु दिशानिर्देश बनाती है। तथापि, सीओपीटी ने अपनी कार्गो प्रोफाइल में पीओएल के वर्चस्व पर विचार करते हुए पीओएल उत्पादों (सिवाय फरनेस ऑयल) हेतु मानदंडों का प्रस्ताव किया था; और केवल एक शुष्क बल्क घटक; पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट मानदंडा लागू करने के लिए सुविचारित किया गया था क्योंकि अन्य शुष्क बल्क कार्गो सीओपीटी के लिए अप्रासंगिक रहते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों के लिए महापत्तनों द्वारा दिशानिर्देशों का अंगीकरण करने की बर्थिंग नीति द्वारा अनुमति दी गई है।

(vi). महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार के नीति निदेश के अधीन जारी 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015' के खंड 1.5 के अनुपालन में टीएएमपी द्वारा राजपत्र सं. 207 दिनांक 04 जून 2015 द्वारा अधिसूचित 'महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नीति लागू करने हेतु कार्यकारी दिशानिर्देश, 2015' के खंड 10.7 के अनुसार भी, अर्जित किया जाने वाला उद्देश्यपरक मानदंड अथवा लदाई/उतराई मानदंड विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और ऐसा नहीं करने पर दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार देय हो जाएंगे। मानदंडों में कार्गो प्रकार, प्रहस्तन उपस्कर और बर्थ में अन्य सुविधाओं, उप संरक्षक द्वारा यथा प्रमाणित सुरक्षित नौचालन के लिए ज्वारभाटा, डुबाव आदि हेतु प्रतीक्षारत जलयानों के किसी विराम को ध्यान में रखना होगा।

(vii). बर्थिंग नीति के खंड 7.2 के अनुसार, बर्थिंग नीति के कार्यनिष्पादन मानदंडों को वापिस लेने के लिए, यह उम्मीद की गई है कि आदर्श मानदंडों के मामले में, अधिकांश जलयान मानदंडों से बेहर निष्पादन करने वाले कुछ जलयानों से मानदंडों को अर्जित करने में समर्थ होंगे। दिशानिर्देश के रूप में, जलयानों के 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत से अधिक निर्धारित मानदंडों को अर्जित कर रहे हैं तो पत्तन मानदंडों में वृद्धि करनी चाहिए।

(viii). तदनुसार, पत्तन ने निम्नलिखित के लिए 12 फरवरी 2018 से मानदंडों संशोधित किया था:

क्र.सं.	**घटक**	**कार्यनिष्पादन मानदंड**
1	पीओएल उत्पाद सिवाय फरनेस ऑयल, सीओटी, एनटीबी एवं एसटीबी में प्रहस्तित	800 टन/घंटा
2	पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट	210टन/घंटा/प्वाइंट

(ix). 15 फरवरी 2018 से 15 मई 2018 अवधि के लिए किए गए तिमाही मूल्यांकन में, मानदंडों के संशोधन के बाद, यह पाया गया था कि फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पादों के 24 जलयान सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित किए गए थे जिनमें से 17 जलयानों (70.8 प्रतिशत) ने 800 टीपीएच का मानदंड अर्जित किया था। इस अवधि में 24 जलयानों की औसत उत्पादकता जोकि 14 (58.3 प्रतिशत) जलयानों तक अर्जित की गई थी। अतः, सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पादों के लिए मानदंड को संशोधित कर 1000 टीपीएच करने का प्रस्ताव किया गया है।

(x). इसी तरह, 15 फरवरी 2018 से 15 मई 2018 अवधि में, पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के 14 जलयानों के संशोधन के बाद, 6 जलयानों (42.8 प्रतिशत) ने 210 टीपीएच का मानदंड अर्जित किया था। इस अवधि में 14 जलयानों की औसत उत्पादकता 196 टीपीएच बी, जिसे 9 (64.3 प्रतिशत) जलयानों द्वारा अर्जित किया गया था। अतः, पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए मानदंड बिना संशोधन के 210 बनाये रखा गया है।

(xi). उपर्युक्त संशोधित मानदंड 15 जून 2018 से लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

(xii). 04 जून 2018 से अन्य 2 वर्षों के लिए 03 जून 2018 तक लागू, टीएएमपी द्वारा राजपत्र सं. 189 दिनांक 05 मई 2017 द्वारा अधिसूचित, एमओएस की बर्थिंग नीति के अधीन, पाइपलाइनों के माध्यम से सीओटी, एनटीबी एवं एसटीबी में प्रहस्तित फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पादों के लिए सीओपीटी में प्रोत्साहन एवं जुर्माना आधारित योजना की वैधता विस्तारित करने के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन का अनुरोध है।

4.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीओपीटी प्रस्ताव दिनांक 29 मई 2018 की प्रति हमारे पत्र दिनांक 06 जून 2018 द्वारा संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थी। इसके लिए अनुस्मारक दिनांक 06 जुलाई 2018 भी दिया गया था।

4.2. कोयंबटूर कस्टम हाऊस एंड क्लियरिंग एजेंट्स एसोएिशन (सीसीएचसीएए) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) से उनके ईमेलों क्रमशः दिनांक 11 जुलाई 2018 और 12 जुलाई 2018 और अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड (एसीएल) से उसके पत्र दिनांक 13 जुलाई 2018 द्वारा विषय प्रस्ताव पर प्राप्त टिप्पणियां सीओपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं। सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 07 अगस्त 2018 द्वारा अपना जवाब भेजा था।

4.3. उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों की टिप्पणियों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय सीओपीटी ने कुछ और निवेदन किए थे। सीओपीटी द्वारा किए गए अतिरिक्त निवेदन नीचे सारबद्ध किए गए हैं:–

(i). बर्थिंग नीति के दिशानिर्देशों के खंड 7.2 के अनुसार, सीओपीटी द्वारा मानदंडों को 12 फरवरी 2018 से संशोधित किया गया था, जोकि निम्नवत् हैं:–

(क). सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पादों के मामले में, मानदंडों को 650 टन प्रति घंटा (टीपीएच) से संशोधित कर 800 टीपीएच किया गया था। यह इस तथ्य पर विचार करते हुए था कि सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पादों के 51 में से 39 (76.5 प्रतिशत) जलयानों ने 2 तिमाहियों की अवधि में 650 टीपीएच के पूर्व मानदंड अर्जित किए थे। इसके अलावा, जून–नवंबर 2017 उपर्युक्त अवधि में 51 जलयानों की औसत उत्पादकता 837 टीपीएच थी, जिसे 25 जलयानों (49.0 प्रतिशत) द्वारा अर्जित किया गया था; और प्रस्तावित 800 टीपीएच के संशोधित मानदंड 51 में से 28 (54.9 प्रतिशत) जलयानों द्वारा अर्जित किए गए थे।

(ख). पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के मामले में, मानदंडों को 190 टीपीएच से 210 टीपीएच में संशोधित किया गया था। यह इस तथ्य पर विचार कर किया गया था कि पाइपलाइनों के माध्यम से सीमेंट प्रहस्तन करने वाले 33 में से 26 (78.8प्रतिशत) ने दो तिमाहियों, जून–नवंबर 2017, की अवधि में 190 टीपीएच के पूर्व मानदंड अर्जित किए थे। इसके अलावा, उपर्युक्त अवधि में 33 जलयानों की औसत उत्पादकता 202 टीपीएच थी, जिसे 23 जलयानों (69.7 प्रतिशत) द्वारा अर्जित किया गया था; और 210 टीपीएच के प्रस्तावित संशोधित मानदंड 33 में से 15 (45.4 प्रतिशत) जलयानों द्वारा अर्जित किए गए थे।

(ii). बर्थिंग नीति के खंड 3 'उद्देश्य' के अनुसार, बर्थिंग नीति का मुख्य आशय निम्नलिखित के लिए उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के उद्देश्य से मानदंड तैयार करना और उपलब्ध उपस्करों/अवसंरचना की निकट डिजाइन क्षमता को अर्जित करना है:

(क). पत्तनों के राजस्व में इजाफा करने और ट्रेड के लिए मूल्य अनलॉक करने के लिए जलयानों के वापिसी समय को कम करना और उच्चतर कार्गो थ्रुपुट प्राप्त करना।

(ख). मौजूदा परिसंपत्तियों पर आरओआई में वृद्धि करने के लिए पत्तन परिसंपत्तियों के उपयोग में सुधार करना तथा अतिरिक्त क्षमता सृजन के लिए केपेक्स से बचाव, और

(ग). निजी पत्तनों के सापेक्ष महापत्तनों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।

(iii). उपर्युक्त के आलोक में, सीओपीटी ने योजना के अधीन सुविचारित कार्गो का प्रहस्तन करने वाले जलयानों की अर्जित उत्पादकता के आधार पर बर्थिंग नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना कार्यान्वित की थी।

(iv). प्रोत्साहन के अधीन भुगतानों ने 04 जून 2017 से 30 जून 2018 तक कार्यान्वयन से सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पादों के लिए योजना के परिचालन के दौरान जुर्माने के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि हुई थी। पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए, जुर्माने ने, जनवरी–मार्च, 2018 के दौरान के सिवाय प्रोत्साहन भुगतानों को पार किया था। दो कार्गो मदों पर प्रोत्साहन तथा जुर्माना नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:

क. सीओटी, एनटीबी एवं एसटीबी में प्रहस्तित फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पाद(रु. में)

मद	जून17	जुलाई–सितम्बर 17	अक्तू.–दिस. 17	जन.–मार्च 18	अप्रै.–जून 18	कुल
प्रोत्साहन	5,68,460	22,80,364	22,44,822	18,71,253	13,98,690	83,63,589
जुर्माना	10,24,229	5,65,782	16,02,995	12,44,870	20,03,760	64,41,636
प्रोत्साहनों के लेखा पर निवल भुगतान	-4,55,769	17,14,583	6,41,827	6,26,383	-6,05,070	19,21,953

ख. पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट (रु. में)

मद	जून 17	जुलाई–सितम्बर 17	अक्तू.–दिस.17	जन.–मार्च 18	अप्रै.–जून 18	कुल
प्रोत्साहन	43,654	93,332	1,50,756	1,14,635	73,418	4,75,794
जुर्माना	85,051	3,03,470	2,62,88,	1,08,597	3,31,551	10,91,551
जुर्माना के लेखा पर निवल प्राप्तियां	-41,397	-2,10.138	-1,12,125	6,037	-2,58,133	-6,15,756

(v). योजना के लिए मूल प्रस्ताव में यथा उल्लिखित, सीओपीटी ने कम कार्यनिष्पादन करने वाले जलयानों पर जुर्माने के बोझ को कम करने के लिए बर्थिंग नीति में प्रोत्साहन के तीन गुना की दर से निर्धारित जुर्माने के स्थान पर प्रोत्साहन के दो गुना की दर से एकसमान रूप से जुर्माना निर्धारित किया है।

(vi). उपर्युक्त पर विचार करते हुए, प्राधिकरण प्रस्ताव दिनांक 29 मई 2018 में यथा उल्लिखित संशोधित मानदंडों के साथ 04 जून 2018 से अन्य 2 वर्षों के लिए 03 जून 2018 तक प्रभावी, टीएएमपी द्वारा राजपत्र सं. 189 दिनांक 05 मई 2017 द्वारा अधिसूचित पोत परिवहन मंत्रालय की बर्थिंग नीति के अधीन पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट और सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल के लिए सीओपीटी में "कार्यनिष्पादन मानदंड आधारित प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना' की वैधता का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित करे।

5.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 23 अक्तूबर 2018 को सीओपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। सीओपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। सीओपीटी तथा संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने संयुक्त सुनवाई में अपने निवेदन प्रस्तुत किए थे।

5.2. संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, सीओपीटी से हमारे पत्र दिनांक 26 अक्तूबर 2018 द्वारा अनुरोध किया गया था कि पूर्व संयुक्त सुनवाई में उठाये गए निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई की जाए:

(i). संयुक्त सुनवाई में, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और इंडियन ऑन कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने मुख्य रूप से यह उद्धरित करते हुए 1000 टन/घंटा की दर से पीओएल उत्पादों के प्रस्तावित वर्धित कार्यनिष्पादन मानकों को अर्जित करने में मुश्किल के बारे में ध्यान आकर्षित किया था कि कार्गो की विभिन्न प्रकृति की भिन्न–भिन्न लदाई/उतराई दर है और पाइपलाइन के दबाव को सुरक्षा सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने कार्गो–वार कार्यनिष्पादन मानकों के लिए अनुरोध किया था। संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, ऑयल कम्पनियों द्वारा कही गई बातों के मद्देनजर, सीओपीटी से हमारे पत्र दिनांक 26 अक्तूबर 2018 द्वारा अनुरोध किया गया था कि उनके साथ बैठें और प्रस्ताव की जाँच करें तथा एक सप्ताह की समयावधि में अर्थात् 2 नवम्बर 2018 तक प्रतिसाद दें।

(ii). संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, हमारे पत्र दिनांक 26 अक्तूबर 2018 द्वारा उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से भी यह अनुरोध किया गया था कि वे इस विषय प्रस्ताव पर अतिरिक्त टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्राधिकरण और सीओपीटी को 4 दिनों के भीतर अर्थात् 31 अक्तूबर 2018 तक प्रस्तुत कर दें। सीओपीटी से अनुरोध किया गया था कि उपयोक्ताओं से टिप्पणियां प्राप्त होने के 4 दिनों के भीतर उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपना प्रतिसाद भेजे।

6.1. उपर्युक्त पैरा 5.2 में उल्लिखित उपर्युक्त प्रथम तथा द्वितीय कार्रवाई बिन्दु के संदर्भ में, बीपीसीएल, पेन्ना सीमेंट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीसीआईएल) और आईओसीएल ने अपने ईमेलों क्रमशः दिनांक 24 अक्तूबर 2018 और 2 नवम्बर 2018, 3 नवम्बर 2018 तथा 3 नवम्बर 2018 द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजी थीं जिन्हें सीओपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित किया गया था। सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2018 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया था।

6.2. सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित पीओएल उत्पादों (सिवाय फरनेस ऑयल) के लिए संयुक्त मानदंडों की बजाय एचएसडी, एमएस, नाप्था के लिए घटक वार उत्पादकता मानदंड नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:

क्र.सं.	घटक	कार्यनिष्पादन मानदंड
1.	सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित पीओएल उत्पाद सिवाय फरनेस ऑयल	
	एचएसडी	1,050टन/घंटा
	एमएस	600 टन/घंटा
	नाप्था	750 टन/घंटा
2.	पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट	210 टन/घंटा/प्वाइंट

7.1. सीओपीटी के प्रस्ताव के साथ सीओपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करने वाले बोर्ड संकल्प की प्रति संलग्न नहीं थी।

7.2. सीओपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 17 दिसम्बर 2018 द्वारा कहा था कि प्रोत्साहन तथा जुर्माना आधारित कार्यनिष्पादन मानदंड योजना बोर्ड की दिनांक 08 अगस्त 2016 की बैठक के संकल्प 82 द्वारा बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 2016 में सीओपीटी में कार्यान्वित की गई थी। तत्पश्चात, जब मानदंड संशोधित किए गए थे, अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया गया था और इसे लागू किया गया था। सीओपीटी ने बताया है कि वह संशोधित बर्थिंग मानदंडों से संबंधित मामला आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगा और संशोधित मानदंडों को लागू किए जाने का अनुसमर्थन प्राप्त करेगा तथा बोर्ड के अनुसमर्थन की प्रतिलिपि प्राधिकरण को भेज देगा।

8. उपर्युक्त के पश्चात, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने अपने ईमेल दिनांक 14 दिसम्बर 2018 द्वारा सीओपीटी को संबोधित पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2018 की प्रति अग्रेषित की थी। बीपीसीएल से प्राप्त उक्त पत्र की प्रति सीओपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के लिए अग्रेषित की गई थी और हमारे पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा बिन्दुवार विशिष्ट टिप्पणियां भेजी गई थीं। पत्तन ने अपना प्रतिसाद नहीं भेजा था।

9. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियाँ इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों तथा संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

10. मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:

(i). इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/75/2016–सीओपीटी दिनांक 29 मार्च 2017 द्वारा सीओपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) में कार्गो परिचालनों के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट और पीओएल (सिवाय फरनेस ऑयल, बेंजीन तथा वेक्यूम रेजीडयू) जैसी कार्गो की दो श्रेणियों के लिए कार्यनिष्पादन मानदंडों से संबंधित कार्यनिष्पादन मानदंड तथा प्रोत्साहन/जुर्माना अनुमोदित किया था। उक्त आदेश 04 जून 2017 से लागू हुआ था और एक वर्ष अर्थात् 3 जून 2018 तक वैध था।
बर्थिंग नीति पत्तनों से यह अपेक्षा करती है कि लक्षित मानदंडों को अर्जित किए जाने तक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक तिमाही में कार्यनिष्पादन मानदंडों की समीक्षा की जाए। चूंकि पीओएस उत्पादों के लिए सीओपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव एमओएस द्वारा जारी बर्थिंग नीति के मद्देनजर तथा पूर्वोक्त नीति में निर्धारित प्रोत्साहन/जुर्माना के सिद्धांतों को अंगीकृत करते हुए बताया गया था, कार्यनिष्पादन मानकों से जुड़े प्रोत्साहन/जुर्माना के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक केवल प्रथम वर्ष के लिए अनुमोदित किए गए थे जोकि 3 जून 2018 तक वैध थे।

(ii). अब, सीओपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 29 मार्च 2017 द्वारा अनुमोदित एमओएस की बर्थिंग नीति के अधीन सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में प्रहस्तित पीओएल उत्पादों (सिवाय फरनेस ऑयल, बेंजीन तथा वेक्यूम रेसीडयू) तथा पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए सीओपीटी में प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना के आधार पर कार्यनिष्पादन मानदंडों की वैधता के विस्तार की मांग करते हुए अपना मौजूदा प्रस्ताव जमा किया है। यद्यपि सीओपीटी का प्रस्ताव कार्यनिष्पादन मानदंडों के विस्तार के लिए है, परन्तु पूर्ववर्ती अनुच्छेदों से देखा जा सकता है कि सीओपीटी ने अपने मूल प्रस्ताव दिनांक 29 मई 2018 में उक्त दो कार्गो श्रेणियों के लिए संशोधित सुधार किए गए कार्यनिष्पादन मानदंडों का भी प्रस्ताव किया है।
तत्पश्चात, 1000 टन/घंटा की दर से पीओएल उत्पादों के संशोधित प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानकों को अर्जित करने में ऑयल कम्पनियों अर्थात् भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा अभिव्यक्त विरोधों के मद्देनजर, सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानदंडों की समीक्षा की थी और पत्तन द्वारा अपने मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित पीओएल उत्पादों के लिए सामान्य कार्यनिष्पादन मानदंडों के बजाय पीओएल उत्पादों अर्थात् हाइ स्पीड डीजल (एचएसडी), मोटर स्पिरिट (एमएस) तथा नाथा के लिए प्रस्तावित घटक–वार मानदंडों की समीक्षा की थी। सीओपीटी द्वारा इस मामले की कार्यवाही के दौरान पत्तन द्वारा किए गए निवेदनों के साथ अपने पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2018 द्वारा प्रस्तुत अंतिम संशोधित मसौदा कार्गो–वार कार्यनिष्पादन मानदंड इस विश्लेषण में सुविचारित किए गए हैं।

(iii). (क). बर्थिंग नीति का खंड 4.1.2. शुष्क बल्क कार्गो की मानक उत्पादकता की गणना के लिए कार्यपद्धति निर्धारित करती है। यह मॉडल पत्तन से यह अपेक्षा करता है कि परिवर्ती कारकों अर्थात् घटक का घनत्व, उपलब्ध ग्रैब का आकार, घटक विशेष के लिए उठाने का कारक, प्रति घंटा चक्रों की संख्या, प्रति पाली गैर–कार्य समय, कुल कार्गो का प्रतिशत जो पूर्ण–लदान अथवा आंशिक लदान परिचालन तथा पोत प्रोफाइल द्वारा कवर होता है, पर विचार करते हुए प्रत्येक शुष्क बल्क घटक के लिए मानक उत्पादकता स्तर की गणना की जाए। यहाँ पर उल्लिखित इन शुष्क बल्क घटकों के लिए बर्थिंग नीति में निर्धारित कार्यनिष्पादन मानदंड 100 टन एचएमसी, 60 टन/80 टन एचएमसी तथा जलयान गियरों सहित के संदर्भ में हैं। बर्थिंग नीति का खंड 7.1 विनिर्दिष्ट करता है कि सभी महापत्तनों को विभिन्न शुष्क बल्क कार्गो घटकों के लिए कार्यनिष्पादन मानदंडों की गणना करने के लिए अपनी मौजूदा अवसंरचना के आधार पर स्वीकार करते हुए नीति में विस्तृत दृष्टिकोण का प्रयोग करना होगा।
पिछले आदेश दिनांक 29 मार्च 2017 के दौरान पत्तन द्वारा यथा स्पष्ट, पत्तन द्वारा प्रहस्तित सीमेंट पाइपलाइनों के माध्यम से है। बर्थिंग नीति पाइपलाइनों के माध्यम से शुष्क बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए कार्यनिष्पादन मानदंडों पर पहुंचने के लिए मानदंड अथवा कार्यपद्धति निर्धारित नहीं करती है। पत्तन के पास सीमेंट का प्रहस्तन करने वाले 3 परिचालक हैं। सीमेंट प्रहस्तन के लिए पत्तन में मौजूदा अवसंरचना के अनुसार, जलयान से इस कार्गो के स्थानांतरण पाइपलाइनों के माध्यम से जलयान सिलोस से जुड़ा होता है। परिचालन के लिए बर्थ में किसी अन्य उपस्करों तथा जनशक्ति की आवश्यकता नहीं है। पिछले संशोधन आदेश दिनांक 29 मार्च 2017 के दौरान सीओपीटी द्वारा प्रस्तुत स्थिति पर भी मौजूदा प्रस्ताव के लिए विचार किया गया है।

(ख). नीति का खंड 7.2 विनिर्दिष्ट करता है कि जलयानों के 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत से अधिक निर्धारित मानदंडों को अर्जित कर रहे हैं तो पत्तन को मानदंडों में वृद्धि करनी चाहिए। बर्थिंग नीति पत्तनों से अपेक्षा करती है कि लक्षित मानदंडों को अर्जित किए जाने तक प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही में कार्यनिष्पादन मानदंडों की समीक्षा करें।
उपर्युक्त के मद्देनजर, सीओपीटी ने मार्च 2017 में निर्धारित 190 टीपीएच से जून से नवम्बर 2017 के दौरान पत्तन में वास्तव में अर्जित उत्पादकता के आधार पर 210 टीपीएच तक पाइपलाइन के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए मानदंडों की समीक्षा तथा संशोधन किया था। इसे नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

पाइपलाइन के माध्यम से सीमेंट

क्र.सं.	ब्योरे	उत्पादकता मानदंड
1	टीएएमपी ने 04–06–2017 से 03–06–2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए टीएमएपी अनुमोदित उत्पादकता मानदंड। जून 2017 से नवम्बर 2017 (6 माह) तक समीक्षा अवधि के दौरान 78.80 प्रतिशत सीमेंट जलयानों ने 190 टन/घंटा	

	अर्जित किए थे।	190 टन/घंटा
2	इसलिए, सीओपीटी ने 12–02–2018 से मानदंड संशोधित किए थे। 15–02–2018 से 15–05–2018 के दौरान 42.80 प्रतिशत सीमेंट जलयानों ने 210 टन/घंटा अर्जित किए थे।	
3	इसलिए, अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए 210 टन/घंटा के मानदंडों को बनाये रखा गया था।	210 टन/घंटा

(ग). उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, और पाइपलाइन परिचालन के मामले में निर्धारण के लिए बर्थिंग नीति में निर्धारित किसी विशिष्ट कार्यपद्धति के अभाव में, और पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए प्रस्तावित संशोधित मानदंडों को स्वीकार करते हुए, 04 जून 2017 से 15 मई 2018 तक पत्तन में अर्जित वास्तविक कार्यनिष्पादन के आधार पर है, यह प्राधिकरण सीमेंट की उक्त कार्गो मद के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तावित संशोधित मानदंड अनुमोदित करता है।

(घ). दि अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड (एसीएल) ने मार्च 2017 आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 190 टीपीएच के स्तर पर कार्यनिष्पादन मानक को बनाये रखने का अनुरोध किया था। तथापि, सीओपीटी ने यह कहते हुए एसीएल द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था कि यह योजना कार्यपद्धति विशेष के अधीन प्रहस्तित सीमेंट कार्गो के लिए शुरू की गई है। विशिष्ट उपयोक्ताओं को चुनिंदा तरीके से इस योजना से छूट नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, इस मामले की कार्यवाही के दौरान, एसीएल ने स्वीकार किया था कि वे कुछ सुधार के बाद 200 टीपीएच अर्जित करने में समर्थ हैं। एमओएस द्वारा जारी बर्थिंग नीति, 2016 का खंड 7.2 महापत्तन न्यासों से अपेक्षा करता है कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक तिमाही में मानदंडों की लक्षित मानदंडों पर पहुंचने तक समीक्षा की जाए और मानदंडों में वृद्धि की जाए यदि मानदंड जलयानों के 60 प्रतिशत–70 प्रतिशत से अधिक निर्धारित मानदंड अर्जित किए जा रहे हों। सीओपीटी का प्रस्ताव बर्थिंग नीति के उक्त खंड का पालन करता है। कार्यनिष्पादन मानदंडों में यथास्थिति बनाये रखने के लिए एसीएल द्वारा किया गया अनुरोध बर्थिंग नीति के अनुसार नहीं पाया गया है।

(ङ). दि पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीसीआईएल) ने बताया था कि उनका औसत कार्यनिष्पादन अन्य सीमेंट टर्मिनलों की तुलना में बर्थ से डिस्चार्ज सिलोस दूर होने तथा सीमेंट डिस्चार्ज पाइपलाइनों में कई मोड़ होने के कारण प्राथमिक तौर पर कम रहा है। अतः पीसीआईएल ने बर्थ से डिस्चार्ज सिलो की दूरी पर ध्यान देने तथा उस आधार पर पृथक उत्पादकता मानदंड निर्धारित करने का अनुरोध किया था। प्रतिसाद में, पत्तन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस तर्क को सीमेंट जलयानों के वास्तविक कार्यनिष्पादन द्वारा समर्थित नहीं किया गया है क्योंकि अल्ट्रा टेक सीमेंट जोकि वर्तमान में उत्तम निष्पादनकर्ता है और जिसके सिलोस जलयान से लगभग उतनी ही दूरी पर हैं जितने पीसीआईएल के हैं। इसके अलावा, सीओपीटी ने बताया है कि, किसी भी स्थिति में, सभी फर्मों के सीमेंट जलयानों की उत्पादकता का वर्ष 2019 तक परिचालनों के स्थायीकरण पर समग्रता से विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। अतः, पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए मानदंड 12 फरवरी 2018 से सीओपीटी द्वारा पहले से कार्यान्वित 210 टीपीएच के संशोधित मानदंड पर पत्तन द्वारा बनाये रखने का प्रस्ताव किया गया है। पूर्ववर्ती अनुच्छेद में स्पष्ट किए गए कारणों से तथा यह स्वीकार करते हुए कि पत्तन के प्रस्ताव का आशय पत्तन के कार्यनिष्पादन में सुधार करना है तथा पोत के वापिसी समय में सुधार करना है तथा चूंकि पत्तन द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव एमओएस द्वारा जारी बर्थिंग नीति के निदेश के अनुपालन में है, इसलिए यह प्राधिकरण पत्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित करता है।

(iv). बर्थिंग नीति दिशानिर्देशों का खंड 7.2 उद्धरित करते हुए जो यह विनिर्दिष्ट करता है कि यदि 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत जलयानों से अधिक निर्धारित मानदंडों को अर्जित कर रहे हों तो पत्तन मानदंडों में वृद्धि करेगा, सीओपीटी ने भी वास्तविक कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है क्योंकि इसका कार्यान्वयन फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पादों के लिए है। मार्च 2017 आदेश में 650 टीपीएच की दर से निर्धारित मानदंड को संशोधित कर 800 टीपीएच किया गया है। पत्तन ने संशोधित मानदंड को 12 फरवरी 2018 से लागू किया है। मौजूदा प्रस्ताव में, पत्तन कार्यनिष्पादन मानदंड को संशोधित कर 1000 टीपीएच किए जाने की मांग की है जिसे पत्तन द्वारा पहले ही 15 जून 2018 से कार्यान्वित किया जा चुका है। इस स्थिति को निम्नलिखित तालिका में नीचे सारबद्ध किया गया है:–

पीओएल उत्पाद सिवाय फरनेस ऑयल

क्र.सं.	ब्योरे	उत्पादकता मानदंड
1	टीएएमपी ने 04–06–2017 से 03–06–2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए उत्पादकता मानदंड अनुमोदित किया था।	650 टन/घंटा
2	चूंकि एक दिशानिर्देश, यदि 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत से अधिक जलयान निर्धारित मानदंड अर्जित करते हैं तो पत्तन मानदंड में वृद्धि करेगाा। तदनुसार, सीओपीटी ने मानदंड 12–02–2018 से ऊध्वर्मुखी संशोधित किया था।	800 टन/घंटा
3	(क). 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत जलयानों ने 15–02–2018 से 15–05–2018 तक तिमाही अवधि के दौरान 800 टन प्रति घंटा के मानदंड को अर्जित किया था। (ख). इस अवधि में प्रहस्तित जलयानों की औसत उत्पादकता 984 टन/घंटा थी। अतः, प्रस्तावित मानदंड 15–06–2018 से लागू है।	1000 टन/घंटा

(v). बीपीसीएल ने बताया था कि वे 3 पीओएल उत्पादों अर्थात् एम.एस., नाथा और डीजल का प्रहस्तन कर रहे हैं। बीपीसीएल डीजल के लिए अधिकतम 1400 टन/घंटा अर्जित कर सकता है और मोटर स्पिरिट (एमएस) के लिए 900 टन/घंटा का कार्यनिष्पादन मानदंड अर्जित किया गया है।

(vi). सीओपीटी ने उन जलयानों का विश्लेषण किया है जिन्होंने वर्ष 2018–19 के लिए अप्रैल से सितम्बर 2018 तक दो तिमाहियों के लिए सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी में फरनेस ऑयल के सिवाय पीओएल उत्पादों का प्रहस्तन किया था। पत्तन ने बताया है कि 46 जलयानों में से जिन्होंने वर्ष 2018–19 के दौरान अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक एचएसडी का प्रहस्तन किया था, 29 जलयान अर्थात् कुल जलयानों के 63 प्रतिशत ने 1016 टीपीएच की औसत उत्पादकता अर्जित की है। अतः 1050 टीपीएच का मानदंड बर्थिंग नीति 2016 के खंड 7.2 के अनुसार एचएसडी के लिए प्रस्तावित किया गया है।

एमएस के संबंध में, 34 में से जो एमएस का प्रहस्तन करते हैं, 19 जलयानों अर्थात् 56 प्रतिशत ने 546 टीपीएच की औसत उत्पादकता अर्जित की है। अतः 600 टीपीएच का मानदंड एमएस के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसे 16 जलयानों अर्थात् 47 प्रतिशत ने अर्जित किया है।

नाथा के संबंध में, 10 जलयानों में से जो नाथा प्रहस्तन करते हैं, 4 जलयानों ने 747 टीपीएच की औसत उत्पादकता अर्जित की है। सभी 10 जलयानों (100 प्रतिशत) ने भी 700 टीपीएच की उत्पादकता अर्जित की है। अतः नाथा के लिए 750 टीपीएच का मानदंड प्रस्तावित किया गया है।

(vii). जैसाकि पहले बताया गया है, बर्थिंग नीति में पीओएल उत्पादों को कवर नहीं किया गया है। तथापि, यह स्वीकार करते हुए कि पत्तन का प्रस्ताव पत्तन के कार्यनिष्पादन में सुधार करना है तथा पोतों के वापिसी समय को कम करना है और चूंकि पीओएल उत्पादों की तीन श्रेणियों के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानदंड जिनकी तेल कम्पनियों द्वारा माँग की गई है और वर्ष 2018–19 में अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक पत्तन द्वारा अर्जित वास्तविक कार्यनिष्पादन के आधार पर बताया गया है, तीन पीओएल उत्पादों के लिए संशोधित कार्यनिष्पादन मानक पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित किए गए हैं।

(viii). बीपीसीएल द्वारा कही गई बात के संबंध में कि उपस्कर तथा पाइपलाइनें डिजाइन किए गए पैरामीटरों से अधिक प्रवाह दर अर्जित करने के लिए सुरक्षा सीमा से बाहर नहीं जाया जा सकता, पत्तन ने बताया है कि तीन पीओएल उत्पादों के लिए विभिन्न उत्पादकता मानदंड प्रस्तावित करने वाले संशोधित प्रस्ताव के मद्देनजर, बीपीसीएल द्वारा कही गई बात प्रासंगिक नहीं पाई गई है।

(ix). पत्तन ने मामले की कार्यवाही के दौरान कहा था कि पत्तन द्वारा प्रस्तावित मानदंड पत्तन के अध्यक्ष के अनुमोदन से हैं। पत्तन ने बताया है कि यह संशोधित प्रस्तावित मानदंडों पर न्यासी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा और बोर्ड अनुमोदन की प्रतिलिपि इस प्राधिकरण को अग्रेषित कर देगा। पत्तन द्वारा यथा सहमत, सीओपीटी को सलाह दी जाती है कि इस मामले पर अपने न्यासी बोर्ड का अनुमोदन अग्रेषित करे।

(x). पत्तन का मौजूदा प्रस्ताव केवल मार्च 2017 आदेश में निर्धारित मानदंडों में संशोधन करने के लिए है। पत्तन ने मौजूदा प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना और मार्च 2017 आदेश में निर्धारित शर्तों में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना और मार्च 2017 में निर्धारित शर्तों को जारी रखने की अनुमति दी गई है।

(xi). पीओएल उत्पादों के लिए उत्पाद वार कार्यनिष्पादन के लिए पत्तन के प्रस्ताव के मद्देनजर, पत्तन ने एचएसडी, एमएस तथा नाथा का प्रहस्तन करने वाले जलयानों के लिए मानदंड संबंधी बर्थ घंटों के परिकलन के लिए एक टिप्पणी शामिल करने का प्रस्ताव किया है। कोई एकल घटक का प्रहस्तन करने वाले जलयानों के लिए, मानदंड संबंधी बर्थ घंटों का परिकलन करने के लिए लागू मानदंड सीधे लागू किया जाएगा। एक से अधिक घटकों का प्रहस्तन करने वाले जलयानों के लिए, मानदंड संबंधी बर्थ घंटे एक से अधिक घटकों के समवर्ती प्रहस्तन के समय समानान्तरतः प्रहस्तित घटकों के लागू मानदंडों के जोड़ पर विचार करते हुए परिकलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह शर्त पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित की गई है।

(xii). बर्थिंग नीति पूर्व–बर्थिंग विलंब और पोतों के लिए समग्र वापिसी समय को कम करने के प्रयोजन के लिए सभी महापत्तनों में वसूली किए जाने वाले लंगरगाह प्रभारों के निर्धारण हेतु भी दिशानिर्देश निर्धारित करती है। पिछले प्रशुल्क आदेश में, पत्तन से अनुरोध किया गया था कि भारत के राजपत्र में (अनुमोदित किए जाने वाले) आदेश की अधिसूचना की तारीख से दो महीनों के भीतर एमओएस द्वारा जारी बर्थिंग नीति के अनुसार लंगरगाह प्रभारों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव दाखिल किया जाए। तथापि, सीओपीटी ने अब तक प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है। सीओपीटी को पुनः सलाह दी जाती है कि एमओएस द्वारा जारी बर्थिंग नीति के अनुसार लंगरगाह प्रभारों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव भारत के राजपत्र में (अनुमोदित किए जाने वाले) आदेश की अधिसूचना की तारीख से दो महीनों के भीतर दाखि किया जाए।

(xiii). 29 मार्च 2017 आदेश में अनुमोदित प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना आधारित कार्यनिष्पादन मानदंड 4 जून 2017 से लागू हुए थे और उक्त आदेश की वैधता एक वर्ष के लिए अर्थात् 3 जून 2018 तक थी। मूल प्रस्ताव में, पत्तन ने संशोधित मानदंडों की 4 जून 2018 से माँग की थी। तथापि, बाद में पत्तन ने तेल कम्पनियों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर अपने पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2018 द्वारा पीओएल उत्पादों के लिए प्रस्तावित संशोधित कार्गो वार मानदंडों का प्रस्ताव किया था।

नीति का खंड 7.2 विनिर्दिष्ट करता है कि यदि 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत से अधिक जलयान निर्धारित मानदंड अर्जित कर रहे हों तो पत्तन मानदंडों में वृद्धि करेंगे। बर्थिंग नीति पत्तनों से अपेक्षा करती है कि वे लक्षित मानदंडों को अर्जित किए जाने तक प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही में कार्यनिष्पादन मानदंडों की समीक्षा करें।

उक्त बर्थिंग नीति के अनुसार, पत्तन ने मार्च 2017 में अनुमोदित कार्यनिष्पादन मानदंडों को कार्यान्वित करने के बाद दो तिमाहियों अर्थात् जून 2017 से नवम्बर 2017 के लिए सीमेंट कार्गो हेतु अर्जित वास्तविक कार्यनिष्पादन की समीक्षा की थी। पाइपलाइनों के माध्यम से सीमेंट प्रहस्तन करने वाले 78.8 प्रतिशत जलयानों पर विचार करते हुए, 190 टीपीएच के पूर्व निर्धारित मानदंड अर्जित कर लिए थे और पीओएल उत्पादों का प्रहस्तन करने वाले 76.5 प्रतिशत जलयानों ने उक्त अवधि के दौरान 650 टीपीएच का पूर्व निर्धारित मानदंड अर्जित कर लिया था, पत्तन ने पाइप लाइन के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए कार्यनिष्पादन मानदंड 190 टन/घंटा से 210 टन/घंटा और पीओएल उत्पादों के लिए 650 टन/घंटा से 800 टीपीएच 12 फरवरी 2018 से संशोधित किया था और इस संबंध में ट्रेड परिपत्र जारी किया था।

उसके तत्पश्चात, पत्तन ने 15 फरवरी 2018 से 15 मई 2018 तक तीन माह की अवधि के लिए वास्तविक कार्यनिष्पादन की पुनः समीक्षा की थी जिसके द्वारा पत्तन ने बताया था कि पीओएल उत्पादों का प्रहस्तन कर रहे जलयानों के 70.80 प्रतिशत ने उक्त अवधि के दौरान 800 टीपीएच अर्जित किए थे और वास्तविक कार्यनिष्पादन के आधार पर पीओएल उत्पादों के लिए कार्यनिष्पादन मानदंड 800 टन/घंटा से संशोधित कर 1000 टन/घंटा किए हैं। पाइप लाइन के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट के लिए, पत्तन ने 210 टन/घंटा बनाये रखा था। पत्तन ने 15 जून 2018 से संशोधित मानदंड लागू करने के लिए एक व्यापार परिपत्र दिनांक 8 जून 2018 जारी किया था।

सीओपीटी द्वारा की गई कार्यनिष्पादन मानदंडों तथा वर्धित कार्यनिष्पादन मानदंडों की समीक्षा बर्थिंग नीति के खंड 7.2 के अनुसार है।

(xiv). तेल कम्पनियों के अनुरोध पर पीओएल उत्पादों के लिए पत्तन द्वारा उत्पाद वार उत्पादकता मानदंड प्रस्तावित करने के बाद, इस मामले की कार्यवाही की अंतिम अवस्था के दौरान बीपीसीएल ने पत्तन द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वापिसी के बारे में एक संदर्भ दिया था। यह मामला पत्तन के डोमेन के अधीन आता है। इस प्राधिकरण का अधिकार दरमान और दरों को शासित करने वाली शर्तें का निर्धारण करना है।

(xv). दिशानिर्देश के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें, भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद भावी प्रभाव से लागू होती है। इस दिशानिर्देश स्थिति से विपथन की मांग करने वाली विशेष परिस्थितियाँ नहीं हैं। अतः, पत्तन द्वारा प्रस्तावित संशोधित उत्पादकता मानदंड इस प्राधिकरण द्वारा सामान्यतः प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होंगे।

पत्तन ने दो वर्षों की अवधि के लिए संशोधित कार्यनिष्पादन मानदंडों की वैधता की मांग की थी। बर्थिंग नीति का खंड 8.5 विनिर्दिष्ट करता है कि कार्यनिष्पादन मानदंड तब तक प्रथम वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में संशोधित किए जाएंगे जब तक घटक हेतु लक्षित मानदंड प्राप्त नहीं कर लिए जाते। अनुवर्ती संशोधन बर्थ अवसंरचना के अपग्रेडेशन पर अथवा प्रतिवर्ष किए जाएंगे। कार्यनिष्पादन मानदंडों से जुड़े जुर्माने/प्रोत्साहन के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है और पत्तन ने प्रथम वर्ष के दौरान वास्तविक कार्यनिष्पादन की तिमाही समीक्षा के आधार पर दो बार मानदंड संशोधित किए हैं। ऐसी स्थिति में, अनुमोदित संशोधित मानदंडों की वैधता इसके लागू होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित की गई है।

11.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार—विमर्श के आधार पर, निम्नलिखित संशोधित कार्यनिष्पादन मानदंड और संशोधित कार्यनिष्पादन मानदंडों से जुड़ी प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना अनुमोदित की गई हैः

"कार्यनिष्पादन मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना

1. कार्यनिष्पादन मानदंडः

क्र.सं.	कार्गो विवरण	उत्पादकता मानदंड
1.	पीओएल उत्पाद सिवाय फरनेस ऑयल, सीओटी, एनटीबी तथा एसटीबी पर प्रहस्तितः	
	(i). एचएसडी	1050टन/घंटा
	(ii). एमएस	600 टन/घंटा
	(iii). नाप्था	750 टन/घंटा
2.	पाइपलाइनों के माध्यम से प्रहस्तित सीमेंट	210 टन/घंटा/प्वाइंट

2. प्रोत्साहन/जुर्माना

(i) बर्थ में पोत के विराम के लिए निर्धारित समय की उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन मानदंडों के आधार पर गणना की जाएगी।

(ii) (क). पूर्व—प्रारंभ और सम्पूर्ण होने के बाद की औपचारिकताओं के लिए अपेक्षित समय 6 घंटे माना जाएगा।

(ख). एक से अधिक पीओएल उत्पादों की ढुलाई करने वाले पोतों के लिए, कार्गो के प्रत्येक ग्रेड के लिए अतिरिक्त दो घंटे पूर्व—प्रारंभ तथा सम्पूर्ण होने के बाद की औपचारिकताओं के लिए सुविचारित की जाएगी।

(ग). एक से अधिक घटकों का प्रहस्तन करने वाले जलयानों के लिए, 'मानदंड संबंधी बर्थ घंटे' निम्नवत् परिकलित किए जाएंगे।

(iii). एकल घटक प्रहस्तन के समय के लिए – कार्यनिष्पादन मानदंड घटक के लिए लागू है।

(iv). एक से अधिक घटकों के सहमत प्रहस्तन के समय के लिए – समानान्तरतः प्रहस्तित घटकों के लिए लागू कार्यनिष्पादन मानदंडों का जोड़।

(v). बर्थ में विनिर्दिष्ट समय अर्जित करने में विफलता अथवा सफलता के लिए, जुर्माना/प्रोत्साहन नीचे दी गई तालिका के अनुसार लागू होगाः

क्र.सं.	मानदंड संबंधी घंटों से अधिक वास्तविक बर्थ घंटों के लिए जुर्माना		प्रोत्साहन (बचत किए गए बर्थ घंटों के लिए)	
	जलयान की वास्तविक कार्य अवधि (पोत का परिचालन पूरा होने तक कार्य बर्थ में बर्थिंग के बीच समय)	जुर्माना	जलयान की वास्तविक कार्य अवधि (पोत के परिचालन पूरा होने तक कार्य बर्थ में बर्थिंग के बीच समय)	प्रोत्साहन
1	विनिर्दिष्ट समय के 5 प्रतिशत के भीतर	शून्य	विनिर्दिष्ट समय के 5 प्रतिशत के भीतर	शून्य
2	विनिर्दिष्ट समय के 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत से अधिक	1.0 x बर्थ किराया	विनिर्दिष्ट समय के 5 प्रतिशत से 15प्रतिशत से कम	0.5 x बर्थ किराया
3	विनिर्दिष्ट समय के 15 प्रतिशत से अधिक	2.0 xबर्थ किराया	विनिर्दिष्ट समय के 15 प्रतिशत से कम	1.0 x बर्थ किराया

(vi). उपर्युक्त तालिका में निर्धारित जुर्माना जलयान के कार्गो परिचालन को पूरा करने के लिए लिए गए अतिरिक्त घंटे (अर्थात् वास्तविक घंटे – मानदंड संबंधी घंटे) के लिए वसूल किया जाएगा। प्रोत्साहन प्रत्येक बचत किए गए अतिरिक्त घंटे अर्थात् मानदंड संबंधी घंटा – वास्तविक घंटा के लिए देय होगा।

(vii). जुर्माना/प्रोत्साहन की गणना करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक जलयान द्वारा अर्जित वास्तविक कार्यनिष्पादन के परिकलन में, निम्नलिखित कारणों से परिचालन रूकने को अलग रखा गया हैः

(क). उप संरक्षक द्वारा यथा प्रमाणित सुरक्षित नौचालन के लिए ज्वारभाटा, डुबाव, आदि के लिए प्रतीक्षारत जलयानों का कोई विराम।

(ख). पाइलट की देरी से आपूर्ति और टग की अनुपलब्धता सहित पत्तन के कारण जलयान के नौचालन में कोई विलंब।

(ग). मौसम संबंधी विराम और विलंब।

(घ). पोतों के स्थानांतरण के कारण विराम तथा विलंब।

(ङ). पत्तन द्वारा प्राधिकृत बंकरों, मरम्मत आदि हेतु जलयान का कोई विस्तारित विराम।

(च). अधिकतम 30 मिनट अवधि तक डुबाव सर्वेक्षणों द्वारा उपभोग किया गया समय।

(छ). बर्थ में पत्तन द्वारा उपलब्ध करवाये गए उपस्कर का खराब होना/अनुपलब्धता।

3. उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन तथा जुर्माना/प्रोत्साहन मानदंड भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होंगे और दो वर्षों के लिए वैध रहेंगे।"

11.2. उपर्युक्त प्रावधान भारत के राजपत्र में पारित (किए जाने वाले) आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होंगे और दो वर्षों के लिए वैध रहेंगे बशर्ते सीओपीटी के न्यासी बोर्ड को कार्गो परिचालनों के लिए संशोधित कार्यनिष्पादन मानदंड और प्रोत्साहन तथा जुर्माना योजना आधारित कार्यनिष्पादन मानदंड अनुमोदित करना होगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन.-III/4/असा./535/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th January 2019

No. TAMP/48/2018-COPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme for cargo operations at the Cochin Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/48/2018-COPT

Cochin Port Trust - - - - - **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri.Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 18th day of January 2019)

This case relates to the proposaldated 29 May 2018received from Cochin Port Trust (COPT) for approval of the Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme for cargo operations.

2.1. The Ministry of Shipping (MOS) under cover of its letter dated 16 June 2016 has announced the Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016 and has requested all the Major Port Trusts to take action.

2.2. In this backdrop, the COPT had come up with a proposal in November 2016 for approving the Performance Norms based Incentive and Penalty scheme for two of the cargo items viz. POL Products (except Furnace Oil) and Cement handled through pipelines.

2.3. The cement handled by the port is through pipelines. The berthing policy does not prescribe norms or methodology for arriving at the performance norms for handling of dry bulk cargo through pipelines.

In view of the above position, and in the absence of any specific methodology prescribed in the Berthing Policy for prescription of performance standards in respect of pipe line operation, the port had proposed the performance norms for cement handled through pipelines on the basis of actual performance achieved in the year 2015-16.

2.4. For POL products (except Furnace oil, Benzene and Vacuum Residue), the port had proposed performance norms considering the berth facilities available in terms of Loading/Unloading arms at the berths, viz., Cochin Oil Terminal, (COT), North Tank Berth (NTB) and South Tank Berth (STB) based on the actual performance achieved in the year 2015-16.

2.5. The Berthing Policy requires the ports to review the performance norms every quarter in the first year until target norms are achieved. Since the proposal filed by the COPT for POL products was stated to be in view of the Berthing Policy issued by the MOS and adopting the principles of incentive/penalty prescribed in the ibid policy, the performance standards proposed by the Port for incentive/penalty linked to performance standards were approved for the first year only.

2.6. Accordingly, this Authority vide its Order No.TAMP/75/2016-COPT dated 29 March 2017 had approved the Performance norm based Incentive / Penalty, for cargo operations at COPT as proposed by the COPT. This Order was notified in the Gazette of India on 05 May 2017 vide Gazette No.189. The notified provisions came into effect from 04 June 2017 and was valid upto for one year, i.e. 3 June 2018.

3. The main points made by COPT in its current proposal dated 29 May 2018 are summarised below:

(i). The 'Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme' for cargo operations at COPT for POL products (except Furnace oil) handled at COT, NTB & STB and Cement handled through Pipelines was implemented with effect from 04 June 2017, as under:

(a). **Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme:**

Sr. No.	Commodity	Performance norms
1.	POL products except Furnace oil, handled at COT, NTB & STB	650 Tonnes / Hour
2.	Cement handled through Pipelines	190 Tonnes / Hour / Point

(b). **Incentive & Penalty:**

Sr. No.	Incentive (For Berth Hours saved)		Penalty (For Berth Hours exceeding Normative Hours)	
	Actual Berth Hours	Incentive	Actual Berth Hours	Penalty
1.	Within 5% of stipulated time	Nil	Within 5% of stipulated time	Nil
2.	Lower beyond 5% to 15% of the stipulated time	0.5 X Berth Hire	More than 5% to 15% of the stipulated time	1.0 X Berth Hire
3.	Lower beyond 15% of the stipulated time	1.0 X Berth Hire	More than 15% of the stipulated time	2.0 X Berth Hire

(ii). A time of 6 hours is allowed for pre-commencement and post completion formalities; for vessels carrying multiple POL products, additional 2 hours for each grade of cargo are allowed.

(iii). Any stoppage of operation on account of the following is excluded from the computation of performance of the ships for calculating penalty / incentive:

(a). Any stay of ships waiting for tide, draft, etc. for safe sailing as certified by the Deputy Conservator.
(b). Any delay in sailing of the ship due to the Port including late supply of pilot and unavailability of tug.
(c). Weather related stoppages and delays.
(d). Stoppages and delays due to shifting of vessels.
(e). Any extended stay of the ship for bunkers, repair, etc. authorised by the Port.
(f). Time consumed by draft surveys up to a maximum period of 30 minutes.
(g). Break-down / non-availability of Port provided equipment at Berth.

(iv). As per TAMP order, the scheme is valid for one year from the date of implementation with effect from 04 June 2017. The scheme was initially implemented with the following norms:

Sr. No.	Commodity	Performance norms
1.	POL products except Furnace oil, handled at COT, NTB & STB	650 Tonnes/Hour
2.	Cement handled through Pipelines	190 Tonnes/Hour/Point

(v). The Berthing Policy lays down guidelines for prescribing performance norms for different commodities of Dry Bulk. However, COPT proposed the norms for POL Products (except Furnace Oil) considering the dominance of POL in its cargo profile; and only one Dry Bulk commodity; Cement handled through pipelines was considered for applying the norms since other Dry Bulk cargo remains insignificant for COPT. Adaptation of the guidelines by Major Ports for specific situations is permitted by the Berthing Policy.

(vi). Also, as per clause 10.7 of the 'Working Guidelines to Operationalize the Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015', notified by the TAMP vide Gazette No. 207 dated 04 June 2015 in compliance of Clause 1.5 of the 'Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015', issued under the policy direction of the GOI under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, objective criteria or loading/ unloading norms to be achieved shall be specified failing which penal berth hire charges will become payable. The norms will have to take into account cargo type, handling equipment and other facilities at the berth, any stay of ships waiting for tide, draft, etc. for safe sailing as certified by the Deputy Conservator.

(vii). As per clause 7.2 of Berthing Policy, for Rolling out Performance Norms of the Berthing Policy, it is expected that in the case of ideal norms, most of the ships will be able to achieve the norms with some ships performing better than norms. As a guideline, if more than 60%-70% of ships are achieving the set norms then Port should increase the norms.

(viii). Accordingly, Port revised the norms with effect from 12 February 2018 to the following:

Sr. No.	Commodity	Performance norms
1.	POL products except Furnace oil, handled at COT, NTB & STB	800 Tonnes / Hour
2.	Cement handled through Pipelines	210 Tonnes / Hour / Point

(ix). In a quarterly assessment made for the period from 15 February 2018 to 15 May 2018, post revision of norms, it was found that 24 ships of POL products except furnace oil were handled at COT, NTB & STB of which 17 ships (70.8%) ships achieved the norm of 800 TPH. The average productivity of the 24 ships in the period was 984 TPH, which was achieved by 14 (58.3%) ships. Therefore, the norm for POL products except Furnace oil handled at COT, NTB & STB is proposed to be revised to 1000 TPH.

(x). Similarly, in the period from 15 February 2018 - 15 May 2018, post revision of norms of 14 ships handled Cement handled through pipelines, 6 ships (42.8%) achieved a norm of 210 TPH. The average productivity of the 14 ships in the period was 196 TPH, which was achieved by 9 (64.3%) ships. Therefore, the norm for Cement handled through Pipelines is retained at 210 without revision.

(xi). The above revised norms are proposed to be implemented with effect from 15 June 2018.

(xii). Approval of the Authority is requested for extending the validity of the Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme at COPT for POL products except Furnace Oil, handled at COT, NTB & STB and Cement handled through Pipelines, under the Berthing Policy of the MOS, notified by the TAMP vide Gazette No.189 dated 05 May 2017, and effective till 03 June 2018 for another 2 years with effect from 04 June 2018.

4.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the COPT proposal dated 29 May 2018 was circulated vide our letter dated 06 June 2018 to the concerned users/ user organisations seeking their comments, followed by reminder dated 06 July 2018.

4.2. The comments received from the Coimbatore Custom House and Clearing Agents' Association(CCHCAA) and Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) vide their emails dated 11 July 2018 and 12 July 2018 respectively and Ambuja Cements Limited (ACL) vide its letter dated 13 July 2018 on the subject proposal were forwarded to COPT as feedback information. The COPT vide its letter dated 07 August 2018 has furnished its reply.

4.3. While furnishing the comments on comments of Users / User Associations, the COPT has made a few more submissions. Additional submissions made by the COPT are summarised below:

(i). In accordance with the clause 7.2 of Guidelines of the Berthing Policy, the Norms were revised by COPT with effect from 12 February 2018, as under:

(a). In the case of POL Products except Furnace Oil, handled at COT, NTB and STB, the norms were revised from 650 Tons per Hour (TPH) to 800 THP. This was in consideration of the fact that 39 out of 51 (76.5%) ships of POL Products except Furnace Oil handled at COT. NTB and STB achieved the earlier norms of 650 TPH in the period of 2 Quarters. Jun-Nov, 2017, besides, the average productivity of the 51 ships in the aforesaid period was 837 TPH, which was achieved by 25 ships (49.0%); and the revised norms of 800 TPH, proposed was achieved by 28 out of 51 (54.9%) ships.

(b). In the case of Cement handled through Pipelines, the norms were revised from 190 TPH to 210 TPH. This was in consideration of the fact that 26 out of 33 (78.8%) ships handling Cement through Pipelines achieved the earlier norms of 190 TPH in the period of 2 Quarters, Jun-Nov, 2017. Besides, the average productivity of the 33 ships in the aforesaid period was 202 TPH, which was achieved by 23 ships (69.7%); and the revised norms of 210 TPH proposed was achieved by 15 out of 33 (45.4%) ships.

(ii). As per Clause 3 'Objective' of the Berthing Policy, the major intention of the Berthing Policy is to design norms with the objective of driving higher productivity and achieving near- design capacity of the available equipments / infrastructure in order to:

(a). Reduce turn-around time of ships & drive higher cargo throughout, adding to ports' revenues and unlocking value for trade.

(b). Improve utilization of port assets to increase RoI on existing assets and avoid CAPEX for additional capacity creation, and

(c). Increase competitiveness of major ports vis-à-vis private ports.

(iii). In the light of the above, the COPT has implemented the Incentive and Penalty Scheme as per the guidelines of the Berthing Policy, based on realized productivity of ships that handled the cargo considered under the Scheme.

(iv). The pay-outs under incentive exceeded the receipts under Penalty during the operation of the Scheme for POL Products except Furnace Oil handled at COT, NTB, and STB, from implementation on 04 June 2017 till 30 June 2018. For Cement handled through Pipelines, Penalty has exceeded Incentive payments, except during Jan-Mar, 2018.The incentive and penalty on the two cargo items are tabulated below:

A. POL Products except Furnace Oil Handled at COT, NTB &STB (in ₹)

Item	Jun 17	Jul-Sep 17	Oct-Dec 17	Jan-Mar 18	Apr-Jun 18	Total
Incentive	5,68,460	22,80,364	22,44,822	18,71,253	13,98,690	83,63,589
Penalty	10,24,229	5,65,782	16,02,995	12,44,870	20,03,760	64,41,636
Net payments on account of Incentives	-4,55,769	17,14,583	6,41,827	6,26,383	-6,05,070	19,21,953

B. Cement handled through Pipelines (in ₹)

Item	Jun 17	Jul-Sep 17	Oct-Dec 17	Jan-Mar 18	Apr-Jun 18	Total
Incentive	43,654	93,332	1,50,756	1,14,635	73,418	4,75,794
Penalty	85,051	3,03,470	2,62,88,	1,08,597	3,31,551	10,91,551
Net receipts on account of penalty	-41,397	-2,10.138	-1,12,125	6,037	-2,58,133	-6,15,756

(v). As stated in the original proposal for the scheme, COPT has prescribed Penalty uniformly at two times the Incentive as against Penalty prescribed at three times the Incentive, in the Berthing Policy towards easing the burden of Penalty on underperforming Ships.

(vi). Considering the above, the Authority may kindly approve the proposal for extending the validity of the "Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme" at COPT for POL products except Furnace Oil, handled at COT, NTB & STB and Cement handled through Pipelines, under the Berthing Policy of the Ministry of Shipping, notified by the TAMP vide Gazette No.189 dated 05 May 2017, and effective till 03 June 2018 for another 2 years with effect from 04 June 2018 with the revised norms as stated in the proposal dated 29 May 2018.

5.1. A joint hearing in this case was held on 23 October 2018 at the COPT premises. The COPT made a brief Power Point presentation of its proposal. The COPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions at the joint hearing.

5.2. As agreed at the joint hearing, the COPT was requested vide our letter dated 26 October 2018 to take action on the following points arising out of joint hearing proceedings:

(i). At the joint hearing the Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and Indian Oil Corporation (IOCL) mainly pointed out about difficulty in achieving the proposed increased Performance Standards of POL products at 1000T/ hour citing that different nature of cargo have different loading / discharge rate and pressure of pipeline cannot be increased beyond safety limit. They requested for cargo-wise Performance Standards. As agreed at the joint hearing, in view of the points made by the Oil Companies, the COPT was,vide our letter dated 26 October 2018 requested to sit with them and examine the proposal and respond in a week's time, i.e. by 2 November 2018.

(ii). As decided at the joint hearing, users / user organisations were also requested vide our letter dated 26 October 2018 to furnish additional comments, if any, on the subject proposal to this Authority and to COPT within 4 days i.e. 31 October 2018. The COPT was requested to furnish its response on comments of users / user organisations within 4 days on receipt of comments from the users.

6.1. With reference to the above first and second points of action referred at para 5.2. above, BPCL, Penna Cements Industries Limited (PCIL) and IOCL have furnished their comments vide their emails dated 24 October 2018 and 2 November 2018, 3 November 2018 and 3 November 2018 respectively, which were forwarded to COPT as feedback information. The COPT vide its letter dated 16 November 2018 has furnished its reply.

6.2. The commodity wise productivity norms for HSD, MS, Naphtha instead of common norms for POL products (except Furnace oil) which are handled at COT, NTB and STB proposed by COPT are tabulated below:

Sr. No.	Commodity	Performance norms
1.	POL products except Furnace oil, handled at COT, NTB & STB	
	HSD	1,050 Tonnes/Hour
	MS	600 Tonnes/Hour
	Naphtha	750 Tonnes/Hour
2.	Cement handled through Pipelines	210 Tonnes/Hour/Point

7.1. The proposal of COPT was not accompanied with a copy of Board Resolution approving the proposal of COPT.

7.2. The COPT vide its email dated 17 December 2018 has stated that the Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme was implemented at COPT in 2016 after obtaining approval from the Board vide Resolution No.82 of the meeting dated 08 August 2016. Subsequently, when the norms were revised, approval of the Chairman was obtained and the same was implemented. The COPT has stated that it shall place the matter relating to revised berthing norms in the ensuing Board Meeting and ratify the implementation of revised norms and forward a copy of the Board's ratification to the Authority.

8. Subsequent to above, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) vide its email dated 14 December 2018 has forwarded a copy of letter dated 14 December 2018 addressed to COPT. A copy of the said letter received from the BPCL was forwarded to COPT for feedback information and to furnish point wise specific comments vide our letter dated 18 December 2018. The port has not furnished its response.

9. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

10. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). This Authority vide Order No.TAMP/75/2016-COPT dated 29 March 2017 has approved the performance norms and Incentive/ Penalty linked to performance norms, for two categories of cargo viz. POL (except Furnace Oil, Benzene and Vaccum Residue) and Cement handled through pipelines for cargo operations at Cochin Port Trust (COPT) as proposed by the COPT. The said Order came into effect from 04 June 2017 and was valid uptofor one year, i.e. 3 June 2018.

The Berthing Policy requires the ports to review the performance norms every quarter in the first year until target norms are achieved. Since the proposal filed by the COPT for POL products was stated to be in view of the Berthing Policy issued by the MOS and adopting the principles of incentive/ penalty prescribed in the ibid policy, the performance standards proposed by the Port for incentive/ penalty linked to performance standards were approved for the first year only which was valid till 3 June 2018.

(ii). Now, the COPT has submitted its current proposal under Berthing Policy seeking extension of the validity of the Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme at COPT for POL products (except Furnace Oil, Benzene and Vacuum Residue) handled at COT, NTB & STB and Cement handled through Pipelines, approved by this Authority vide Order dated 29 March 2017. Though the proposal of the COPT is for extension of the Performance Norms, it can be seen from the following paragraphs that the COPT has also proposed revised improved Performance norms for the said two cargo categories in its original proposal dated 29 May 2018.

Subsequently, in view of the constraints expressed by the oil companies viz. Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and Indian Oil Corporation (IOCL) in achieving the revised proposed Performance Standards of POL products at 1000T/ hour, the COPT has vide its letter dated 16 November 2018 reviewed the proposed performance norms and proposed commodity-wise norms for POL products viz. High Speed Diesel, (HSD), Motor Spirit (MS) and Naphtha instead of the common performance norms for POL Products proposed by the port in its original proposal. The final revised draft cargo-wise Performance norms furnished by COPT vide its letter dated 16 November 2018 along with submissions made by the port during the processing of the case are considered in this analysis.

(iii). (a). Clause 4.1.2.of the Berthing Policy prescribes the methodology for calculation of normative productivity of dry bulk cargo. The model requires port to calculate the normative productivity level for each dry bulk commodity by taking into consideration the variables viz. Density of commodity, Size of grab available, Picking factor for the particular commodity, Number of cycles per hour, Non-working time per shift, % of total cargo that is covered by full-load or partial-load operation and Vessel profile. The performance norms prescribed in the Berthing Policy for these dry bulk commodities mentioned therein are with reference to 100T HMC, 60T/80T HMC and with Ship gears. Clause 7.1.of the Berthing Policy stipulates that all major ports will have to use the approach detailed in the Policy adapting it based on their existing infrastructure to calculate performance norms for different dry bulk cargo commodities.

As clarified by the port during the last Order dated 29 March 2017, the cement handled by the port is through pipelines. The berthing policy does not prescribe norms or methodology for arriving at the performance norms for handling of dry bulk cargo through pipelines. The port has 3 operators who handle cement. As per the existing infrastructure at the port for handling cement, the ship is connected to silos through pipelines for transfer of this cargo from the ship. No other equipments and manpower are required at the berth for operation. The position furnished by the COPT during the last revision Order dated 29 March 2017 are taken into consideration for the current proposal also.

(b). Clause 7.2 of the Policy stipulates that if more than 60%-70% of ships are achieving the set-norms then the port should increase the norms. The Berthing Policy requires the ports to review the performance norms every quarter in the first year until target norms are achieved.

In view of the above, the COPT has reviewed and revised norms for cement handled through pipeline from 190 TPH prescribed in the March 2017 Order to 210 TPH based on the productivity actually achieved at the port during June to November 2017. This is tabulated below:

Cement through Pipeline

Sl. No.	Details	Productivity Norms
1.	TAMP approved productivity norm for one year period from 04.06.2017 to 03.06.2018.78.80% of cement ships achieved 190 T/hrs. during Review Period from June 2017 to November 2017 (6 months)	190 T/hr.
2.	So, COPT revised the norms with effect from 12.02.2018. 42.80% of cement ships achieved 210 T/hrs. during 15.02.2018 to 15.05.2018.	
3.	So, Norms of 210 T/hrs. retained for the further period of 2 years.	210 T/hr.

(c). In view of the above position, and in the absence of any specific methodology prescribed in the Berthing Policy for prescription of performance norms in respect of pipeline operation, and recognising the revised norms proposed for cement handled through pipelines is on the basis of actual performance achieved at the port from 04 June 2017 to 15 May 2018, this Authority approves the revised norm proposed by the port for the said cargo item of cement.

(d). The Ambuja Cement Limited (ACL) has requested to retain the performance standard at the level of 190 TPH approved by this Authority in the March 2017 Order. The COPT has, however, not accepted the request made by ACL stating that the scheme is introduced for the cement cargo handled under certain methodology. Specific users cannot be selectively exempted from the scheme. Further, during the proceeding of the case, ACL has admitted that they have been able to achieve 200 TPH after some improvement. Clause 7.2.of the Berthing Policy,2016 issued by the MOS requires the Major Port Trusts to review the norms every quarter in the first year and increase the normsif more than 60%-70% of ships are achieving the set-norms until target norms are reached. The proposal of the COPT complies with the said clause of the Berthing Policy. The request made by the ACL to maintain status quo in the performance norms is not found to be in line with the Berthing Policy.

(e). The Penna Cement Industries Limited (PCIL) has stated that their average performance has been below par primarily due to their discharge silos being farther from the berth in comparison to other cement terminals and the cement discharge pipelines are with many

number of bends. The PCIL has, therefore, requested to factor the distance of the discharge silo from the berth and prescribe separate productivity norm on that basis. In response, the port has categorically stated that the argument is not supported by actual performance of Cement ships as Ultra Tech Cements who is a best performer presently and whose silos are at about the same distance from the ship as that of PCIL. Further, COPT has stated that, in any case, the productivity of the Cement Ships of all the firms needs to be analyzed in totality on stabilization of operations by the year 2019. Therefore, the norm for Cement handled through Pipelines has been proposed to be retained by the port at revised norm of 210 TPH already implemented by the COPT since 12 February 2018. For the reasons explained in the preceding paragraph and recognizing that the proposal of the port intends to improve the performance of the port and to improve turnaround time of vessel and also since the proposal filed by the port is in compliance with the Berthing Policy issued by the MOS, this Authority approves the proposal of the port.

(iv). Citing clause 7.2. of Berthing Policy guidelines which stipulates that if more than 60%-70% of ships are achieving the set-norms then the port should increase the norms, the COPT has also reviewed the actual performance since its implementation for POL products except furnace oil. The Norm prescribed at 650 TPH in March 2017 Order has been revised to 800 TPH. The Port has applied the revised norm with effect from 12 February 2018. In the current proposal, the port has sought to revise the performance norm to 1000 TPH which is already implemented by the port from 15 June 2018. This position is summarized below in the following table:

POL Products except Furnace Oil

Sr. No.	Details	Productivity Norms
1.	TAMP approved productivity norm for one year period form 04.06.2017 to 03.06.2018	650 Tonnes/hour
2.	As a guideline, if more than 60% - 70% of ships achieve the set norm, then the port should increase the norm. Accordingly, the COPT revised the norm upwards with effect from 12.02.2018	800 Tonnes/hour
3.	(a). 70% to 80% of ships achieved the norms of 800 tonnes per hour during the Quarterly period from 15.02.2018 to 15.05.2018. (b). The average productivity of ships handled in the period was 984 tonnes / hour. Therefore, the proposed norm with effect from 15.06.2018	1000 Tonnes/hour

(v). BPCL stated that they are handling 3 POL products viz. M.S, Naptha and Diesel. BPCL can achieve maximum 1400 T/ hour for Diesel and for Motor Spirit (MS) performance norm of 900 T/ hour is achieved.

(vi). The COPT has analyzed the performance of ships that handled POL Products except Furnace Oil at COT, NTB & STB for the two quarters for the year 2018-19 from April to September 2018. The port has stated that out of the 46 ships that handled HSD during the year 2018-19 from April 2018 to September 2018, 29 ships i.e. 63% of the total ships achieved the average productivity of 1016 TPH. Therefore, the norm of 1050 TPH has been proposed for HSD in line with clause 7.2. of the Berthing Policy 2016.

As regards MS, out of the 34 that handled MS, 19 ships i.e. 56% achieved average productivity of 546 TPH. Therefore, the norm of 600 TPH has been proposed for MS, which is achieved by 16 ships 47%.

As regards Naphtha out of 10 ships that handled Naphtha, 4 ships have achieved the average productivity of 747 TPH. Also, all the 10 ships (100%) achieved the productivity of 700 TPH. Therefore, the norm of 750 TPH has been proposed for Naphtha.

(vii). As stated earlier, the Berthing Policy does not cover the POL products. However, recognising that the proposal of the port is to improve the performance of the port and to reduce the turnaround time of vessels and also since the proposed performance norms for three categories of POL products as sought by the oil companies and reportedly based on the actual performance achieved by the port in the year 2018-19 from April 2018 to September 2018, the revised performance standards for the three POL products are approved as proposed by the port.

(viii). As regards the point made by the BPCL that equipment and pipelines cannot be operated beyond the safety limit to achieve the flow rate over and above the design parameters, the port has stated that in view of the revised proposal proposing different productivity norms for the three POL products, the point made by the BPCL isnot found relevant.

(ix). The port has during the processing the case stated that the norms proposed by the port are with the approval of Chairman of the port. The port has stated that it shall seek approval of the Board of Trustees on the revised proposed norms and forward a copy of the Board approval to this Authority. As agreed by the port, the COPT is advised to forward the approval of its Board of Trustees on this matter.

(x). The current proposal of the port is only for revision in the norms prescribed in the March 2017 Order. The port has not proposed any modification in the existing incentive and penalty scheme and the conditionalities prescribed in the March 2017 Order. That being so, the incentive and penalty scheme and the conditionalities prescribed in the March 2017 are allowed to continue.

(xi). In view of the proposal of the port for product wise performance for POL products, the port has proposed to insert a note for computation of Normative Berth Hours for the ships, that handle HSD, MS and Naphtha. For ships handling any single commodity, the applicable norm will be directly applied to compute the Normative Berth Hours. For ships handling multiple commodities, the Normative Berth Hours is proposed to be computed considering sum of the applicable norms of the commodities handled simultaneously for the time of concurrent handling of multiple commodities. The condition is approved as proposed by the port

(xii). The Berthing Policy also prescribes guidelines for prescription of anchorage charges to be levied across all major ports for the purpose of reducing pre-berthing delay and hence the overall turn-around time for vessels. In the last tariff Order, the port was requested to file a proposal for prescription of anchorage charges in line with the Berthing Policy issued by the MOS within two months from the date of notification of the Order (to be approved) in the Gazette if India. The COPT has, however, not filed the proposal so far. The COPT is again advised to file a proposal for prescription of anchorage charges in line with the Berthing Policy issued by the MOS within two months from the date of notification of the Order (to be approved) in the Gazette of India.

(xiii). The Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme approved in 29 March 2017 Order came into effect from 4 June 2017 and validity of the said Order was for one year, i.e. 3 June 2018. In the original proposal, the port has sought revised norms with effect from 4 June 2018.However, the port has subsequently proposed revised norms cargo wise for POL products vide its letter dated 16 November 2018 based on the request made by the oil companies.

Clause 7.2 of the Policy stipulates that if more than 60%-70% of ships are achieving the set-norms then the port should increase the norms. The Berthing Policy requires the ports to review the performance norms every quarter in the first year until target norms are achieved.

In accordance with the said Berthing Policy, the port has post implementation of the Performance norms approved in March 2017 Order reviewed the actual performance achieved for cement cargo for the two quarters i.e. June 2017 to November 2017. Considering 78.8% of ships handling Cement through Pipelines have achieved the earlier prescribed norms of 190 TPH and 76.5% of ships handling POL products have achieved the earlier prescribed norm of 650 TPH during the said period, the port has revised the performance norms for Cement handled through pipe line from 190T/ hour to 210T/ hour and for POL products from 650T/hour to 800TPH for POL with effect from 12 February 2018 and issued trade circular in this regard.

Subsequent to that the port has again reviewed the actual performance for the three months period 15 February 2018 to 15 May 2018 whereby port has reported that 70.80% of ships handling POL products have achieved the 800 TPH during the said period and based on the actual performance revised the performance norms for POL products from 800T/ hour to 1000 T/ hour. For Cement handled through pipe line the port has retained at 210 T/ hour. The port has issued a trade circular dated 8 June 2018 for the revised norms made effective from 15 June 2018.

The review of the performance norms and increased performance norms by the COPT is in accordance with the clause 7.2. of the Berthing Policy.

(xiv). Subsequent to the port proposing product wise productivity norms for POL products at the request of the oil companies, the BPCL during the last stage of processing of this case made a reference about refund of about penalty imposed by the port. This matter falls under the domain of the port. The mandate of this Authority is to fix the Scale of Rates and conditions governing the rates.

(xv). Asper the guidelines, the rates approved by this Authority have prospective effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. There are no special circumstances warranting deviation from the guideline position. Therefore, the revised productivity norms proposed by the port shall come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette in line with the approval generally accorded by this Authority.

The port has sought validity of revised Performance norms for a period of two years. Clause 8.5.of the Berthing Policy stipulate that performance norms will be revised every quarter during the first year until target norms for commodity are reached. Subsequent revisions will be done yearly or upon upgradation of berth infrastructure. The first year of implementation of the penalty/ incentive linked to performance norms is already over and the port has during the first year revised the norms twice based on quarterly review of the actual performance. That being so, the validity of the revised norms approved are prescribed for a period of two years from the date it comes into effect.

11.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind,the following revised Performance norms and incentive and penalty scheme linked to the revised performance norms are approved:

"Incentive and Penalty Scheme based on Performance Norms

1. Performance Norms:

Sr. No	Cargo Particulars	Productivity Norms
1.	POL products except Furnace oil, handled at COT, NTB & STB:	
	(i). HSD	1050 Tonnes / Hour
	(ii). MS	600 Tonnes / Hour
	(iii). Naphtha	750 Tonnes / Hour
2.	Cement handled through Pipelines	210 Tonnes / Hour / Point

2. Incentive/ Penalty

(i) The stipulated time for a vessel's stayal at berth will be calculated based on the stipulated performance norms as mentioned above.

(ii) (a). Time required for pre-commencement and post completion formalities shall be considered as 6 hours.

(b). For vessels carrying multiple POL products, additional two hours for each grade of cargo shall be considered for pre commencement and post completion formalities.

(c). For ships handling multiple commodities, the 'Normative Berth Hours will be computed as under.

(iii). For the time of single commodity handling- Performance norm applicable for the commodity.

(iv). For the time of concurrent handling of multiple commodities - Sum of the Performance norms applicable for the commodities handled simultaneously.

(v). For failure or success in achieving the stipulated time at berth, penalty / incentive will be applicable as tabulated below:

Sr. No.	Penalty for actual berth hours exceeding the normative hours		Incentive (for Berth Hours saved)	
	Actual working period of the ship (time between berthing at the working berth till completion of vessel's operation)	**Penalty**	**Actual working period of the ship (time between berthing at the working berth till completion of vessel's operation)**	**Incentive**
1	Within 5% of the stipulated time	Nil	Within 5% of the stipulated time	Nil
2	More than 5% to 15% of the stipulated time	1.0 x Berth Hire	Lower beyond 5% to 15% of the stipulated time	0.5 x Berth Hire
3	More than 15% of the stipulated time	2.0 x Berth Hire	Lower Beyond 15% of the stipulated time	1.0 x Berth Hire

(vi). Penalty prescribed in the above table will be levied for additional hour (i.e., Actual hours – Normative Hours) taken to complete the ship's cargo operation. Incentive will be payable for every additional hour saved i.e. Normative Hour – Actual hour.

(vii). In computing actual performance achieved by each ship for the purpose of calculating penalty / incentive, stoppage of operation on account of the following are to be excluded:

(a). Any stay of ships waiting for tide, draft, etc. for safe sailing as certified by the Deputy Conservator.
(b). Any delay in sailing of the ship due to the Port including late supply of pilot and unavailability of tug.
(c). Weather related stoppages and delays.
(d). Stoppages and delays due to shifting of vessels
(e). Any extended stay of the ship for bunkers, repair, etc. authorized by the Port.
(f). Time consumed for draft surveys upto maximum period of 30 minutes
(g). Break-down/ non-availability of port provided equipment at berth.

3. The performance and penalty/ incentive norms as specified above will be effective after expiry of 30 days from date of notification of the Order in the Gazette of India and will remain valid for two years.**"**

11.2. The above provisions shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order (to be) passed in the Gazette of India and will remain valid for two years, subject to Board of Trustees of COPT approves the revised Performance Norms and Performance Norms based Incentive and Penalty Scheme for cargo operations.

[ADVT.-III/4/Exty./535/18]

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.15 22:28:01 +05'30'